भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2955

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

विलुप्त हो चुकी/विलुप्त होने के कगार पर खड़ी नदियों का संरक्षण

2955. श्री राकेश राठौर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विलुप्त हो चुकी/विलुप्त होने के कगार पर खड़ी नदियों का संरक्षण करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में विलुप्त होने के कगार पर खड़ी नदियों को भी बचाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से होकर बहने वाली सरायण नदी के संरक्षण की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का प्राथमिक दायित्व है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों में गिरने से पहले निर्धारित मानकों के अनुसार सीवेज और औद्योगिक बहिस्त्रावों का अपेक्षित उपचार सुनिश्चित करें। भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों जैसे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए नमामि गंगे, गंगा के अलावा अन्य नदी बेसिनों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) और अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

वर्ष 2022 में प्रकाशित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 603 नदियों की निगरानी की गई और यह पाया गया कि 279 नदियों के कुल 311 नदी खंड प्रदूषित थे।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) में अब तक देश के 17 राज्यों में 57 नदियों को शामिल किया गया है, जिनमें मणिपुर में नम्बुल, सिक्किम में रानी चू, गोवा में जुआरी आदि

छोटी नदियां शामिल हैं। इसके लिए 8931.49 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत निर्धारित की गई है और अन्य बातों के साथ-साथ 2941 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है।

गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 6,255 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की उपचार क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण और पुनर्वास के लिए 32,513 करोड़ रुपये की लागत से कुल 203 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 3327 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पहचान किए गए प्रदूषित नदी खंडों के संरक्षण के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और राज्य सरकार द्वारा गठित नदी संरक्षण समिति (आरआरसी) द्वारा इनकी निगरानी की जाती है। तैयार की गई कार्य योजनाओं में स्त्रोत नियंत्रण (नगरीय सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन), नदी कैचमेंट/बेसिन प्रबंधन (अच्छी सिंचाई पद्धतियों को अपनाना, शोधित सीवेज का उपयोग, भूजल पुनर्भरण पहलू), बाढ़ मैदान क्षेत्र सुरक्षा और इसका प्रबंधन (जैव-विविधता पार्कों की स्थापना, अतिक्रमणों को हटाना, वर्षा जल संचयन, नदी के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण), पारिस्थितिक/पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) और वाटरशेड प्रबंधन जैसे पहलू शामिल हैं।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 05.04.2022 के पत्र द्वारा जिला गंगा समितियों की देखरेख में जिला स्तर पर मनरेगा कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में 50 छोटी नदियों के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसमें 10 राज्य विभागों और एजेंसियों के सदस्य शामिल हैं जो मनरेगा के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों को अभिसरण करके छोटी नदियों के पुनरुद्धार और संरक्षण का कार्य निष्पादन करेंगे।

(ग) और (घ): सीतापुर जिले में सरायण नदी के पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना में वृक्षारोपण, तालाबों का निर्माण, नालों का पुनरुद्धार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल संचयन और अन्य संरक्षण संबंधी कार्य शामिल हैं।

राज्य सरकार द्वारा सूचित गया है कि सरायण नदी पर 05 किलोमीटर के दायरे में वर्ष 2022-23 में 1,90,700 पौधे, वर्ष 2023-24 में 1,20,500 और वर्ष 2024-25 में 27,200 पौधे लगाए गए हैं।

*****